(1)

मुख्यआवासाधिकारी कार्यालय
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

(डॉ. आई. यू. खान)
मुख्यआवासाधिकारी (छात्र)
कार्यालय : 0141-2709165

क्रं.सं. मु.आ./2021/2274 दिनांकः 16.01.2021

कार्यालय आदेश

आवश्यक दिशा–निर्देश

राज्य सरकार के पत्र कमांक एफ71(2)( )राछा/सान्याअवि दिनांक 12.01.2021 एवं कुलपति महोदय की मिटिंग दिनांक 13. 01. 2021 की अनुपालना में दिनांक 18.01.2021 से स्नातक (अन्तिम वर्ष), स्नातकोत्तर (तृतीय सेमेस्टर),शोध छात्रावास खोले जाएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा छात्रावासों को खोले जाने के सम्बन्ध में उक्त पत्र में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये हैं। सभी आवासाधिकारियों से निवेदन है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें–

1. कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की अनुपालना करना प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य है।

2. छात्रावास परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य है।

3. आवश्यक दो गज की दूरी की पालना करना अनिवार्य है।

4. प्रत्येक छात्र अपने साथ जरूरत के हिसाब से सेनिटाईजर रखेगा।

5. सभी छात्र छात्रावास में प्रवेश करने से पूर्व चौकीदार या सुरक्षाकर्मी द्वारा मांगे जाने पर अपना परिचय पत्र दिखाएंगें।

6. प्रत्येक छात्र अपने अभिभावक की सहमति एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना की लिखित अनुमति ;अण्डरटेकिंगद्ध छात्रावास प्रशासन के समक्ष पेश करेगा।

7. अभिभावकों, आंगन्तुकों एवं गेस्ट छात्रों का प्रवेश छात्रावास में पूर्ण वर्जित है। निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी प्रवेशी छात्रावासी के कमरें में कोई भी गेस्ट छात्र पाया गया तो तुरन्त प्रभाव से छात्रावासी का प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

8. छात्र अनावश्यक रूप से छात्रावास परिसर में नहीं घूमें।

09. एक कक्ष में एक ही छात्र को रखें। किसी भी परिस्थिति में एक कमरे में दो छात्रों को नहीं रखा जाए। यदि कक्ष में दो पंलग रखने की जगह है तों दोनों के बीच की दूरी 6 फीट की होनी चाहिए।

10. छात्र अपने छात्रावास के किसी भी साथी कमरे में नहीं जाए।

11. किसी भी छात्र को यदि किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो वह तुरन्त प्रभाव से छात्रावास प्रशासन को सूचित करें।

12. मैस में बैठकर खाना खाने की अनुमति किसी भी छात्र को नहीं होगी। खाना छात्रों के कमरें में स्वयं के बर्तन में ही प्रदान किया जायेगा।

13. छात्रावास में परिसर में किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव का आयोजन पूर्ण वर्जित है।

14. यदि किसी भी छात्र को पूर्व में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो वह छात्रावास में प्रवेश से पूर्व छात्रावास प्रशासन को सूचित करें।

15. मैस खर्च का पूर्ण खर्चा छात्रों द्वारा देय होगा।

16. मैस में छात्रों को प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित है।

17. टी.वी. रूम या अन्य सार्वजनिक स्थान पर छात्रों का अनावश्यक खड़ा होना वर्जित है।

18. छात्रावास प्रवेश से पूर्व हाथों को धोना या सेनिटाइज करना अनिवार्य है।

19. छात्रावास प्रशासन सेनिटाइजर एवं छात्रों के हाथ धोने की उचित व्यवस्था पर पूर्ण ध्यान दें।

20. उक्त नियमों एवं विश्वविद्यालय, राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारी जारी गाइडलाइन की अनुपालना नहीं करने पर तुरन्त प्रभाव से छात्र पर अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जायेगी साथ ही छात्र को तुरन्त प्रभाव से छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी।

मुख्य आवासाधिकारी

क्र.सं. मु.आ./2021/2274-2284 **दिनांकः 16.01.2021**

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. समस्त आवासाधिकारी,(स्नातक / स्नातकोत्तर), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. मुख्य कुलानुशासक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव (कुलपति), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. निजी सचिव (कुलसचिव), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

मुख्य आवासाधिकारी